HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
BENCH AT JAIPUR

S.B. Criminal Miscellaneous II Bail Application No. 15866/2026
CNR: RJHC020974472026 | URN: CRLMB / 29411U / 2026

Sumit S/o Shimbhu, R/o Guhala, Police Station Sadar, Neemkathana, District Sikar, Raj. (At Present Confined In Sub Jail Kishangarhbas).

----Petitioner

Versus

The State Of Rajasthan, Through Pp

----Respondent

For Petitioner(s)	:	Mr. Vikash Kumar Jakhar
For Respondent(s)	:	Mr. Manvendra Singh, PP

HON'BLE MRS. JUSTICE SHUBHA MEHTA

Order

29/10/2026

प्रार्थना–पत्र 1/2026 पर सुना गया।

प्रार्थना–पत्र इस प्रक्रम पर स्वीकार कर कार्यालय द्वारा लगाया गया आक्षेप दूर किया जाता है एवं आरोप–पत्र की प्रति को अभिलेख पर लिया जाता है।

प्रार्थी की ओर से धारा 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के प्रावधानों के अन्तर्गत पुलिस थाना खैरथल, जिला खैरथल–तिजारा में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 200/2026 अपराध अन्तर्गत धारा 307, 127(2), 61(2), 309(4), 309(6) भारतीय न्याय संहिता, 2023 में जमानत का लाभ दिये जाने हेतु यह द्वितीय प्रार्थनापत्र पेश किया गया है।

बहस सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी–अभियुक्त का तर्क है कि प्रार्थी को प्रकरण में मिथ्या संलिप्त किया गया है। उनका तर्क है कि प्रार्थी–अभियुक्त का प्रथम जमानत प्रार्थना–पत्र इस न्यायालय द्वारा दिनांक 07.09.2026 को निरस्त करने के पश्चात् प्रकरण में आरोप–पत्र प्रस्तुत किया जा चुका है। उनका तर्क है कि प्रकरण में परिवादी अमन हुसेनपुर नाके पर मुनीम का कार्य करता था तथा प्रार्थी वहां पर वाहन चालक था। उनका तर्क है कि परिवादी ने अपने धारा 180 भारतीय नागरिक सुरक्षा

संहिता के कथन में स्पष्टतः यह कहा है कि सहअभियुक्त हैप्पी और विक्रमजीत व एक अन्य ने प्रार्थी सुमित के भी पैर पकड़े थे, इस तरह से वारदात तो प्रार्थी अभियुक्त के साथ भी हुई है। उनका तर्क है कि उक्त कथनों में परिवादी अमन द्वारा प्रार्थी का कोई कृत्य नहीं बताया गया है। उनका तर्क है कि इसी तरह के कथन अन्य साक्षीगण मनीष पॉल और प्रदीप द्वारा भी किए गए हैं और कहा है कि अमन ने उन्हें भी यही बताया है कि सहअभियुक्त हैप्पी और विक्रमजीत ने उसे पकड़ लिया और प्रार्थी सुमित को भी पैरों से पकड़ लिया था। उनका तर्क है कि जिनके यहां उक्त दोनों व्यक्ति कार्यरत थे, उस साक्षी धर्मवीर ने भी बताया है कि उसे भी अमन ने यही बताया था। उनका तर्क है कि प्रार्थी–अभियुक्त का कोई विशिष्ट कृत्य नहीं बताया गया है, जिससे पता चलता हो कि उसके द्वारा भी यह घटना कारित की गई हो। प्रार्थी–अभियुक्त दिनांक 03.08.2026 से अभिरक्षा में है। उसके विरुद्ध पूर्व का कोई आपराधिक प्रकरण संस्थित नहीं है। प्रकरण की अन्वीक्षा में समय लगेगा। अतः प्रार्थी को जमानत का लाभ प्रदान किया जावे।

इसके विपरीत योग्य लोक अभियोजक का तर्क है कि प्रार्थी–अभियुक्त का प्रथम जमानत प्रार्थना–पत्र गुणावगुण पर निरस्त हुआ था और अब प्रकरण की परिस्थितियों में ऐसा कोई सारवान परिवर्तन नहीं हुआ है। उनका तर्क है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट में यह अंकित है कि प्रार्थी सुमित अपना चार्जर लेने के बहाने परिवादी अमन को घटनास्थल पर लेकर गया था। उनका तर्क है कि प्रार्थी–अभियुक्त के आधिपत्य से 35,000/– रुपये की बरामदगी हुई है। प्रार्थी–अभियुक्त के विरुद्ध गंभीर अपराधों का अभियोग है। अतः अपराध की गम्भीरता को ध्यान में रखते हुए जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त किये जाने का निवेदन किया।

प्रस्तुत तर्कों पर मनन किया। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रार्थी–अभियुक्त का प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त होने के बाद अब प्रकरण में आरोप–पत्र हो चुका है। प्रार्थी दिनांक 03.08.2026 से अभिरक्षा में है। उसके विरुद्ध पूर्व का कोई आपराधिक प्रकरण संस्थित नहीं है। प्रकरण की अन्वीक्षा में समय लगेगा। अतः उपर्युक्त तथ्यों एवं बदली हुई परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए इस स्तर पर मामले के गुणावगुण पर कोई टिप्पणी किये बिना, प्रार्थी–अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

परिणामतः प्रार्थी–अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत यह जमानत प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाता है और आदेश दिया जाता है कि यदि प्रार्थी–अभियुक्त इस मामले में योग्य विचारण न्यायालय के संतोषप्रद, उनके न्यायालय में नियत तिथियों पर एवं जब भी उसे बुलाया जाए, उपस्थिति हेतु एक लाख रूपये का बन्ध–पत्र एवं पचास–पचास हजार रूपये की दो प्रतिभूतियां प्रस्तुत कर तस्दीक करवा दे तथा उसकी किसी अन्य प्रकरण में आवश्यकता न हो, तो उसे जमानत पर रिहा कर दिया जाये।

(SHUBHA MEHTA),J

42/NIMIT GOYAL